

विषय: डीपफेक और एआई के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए?

कठोर कानून, जागरूकता से ही रुकेगा एआई का दुरुपयोग

कठोरतम कानून बनाना आवश्यक
डीपफेक तकनीक और एआई से प्रस्तुत नकली चेहरे और नकली आवाज का दुरुपयोग राजनीतिक प्रचार, ब्लैकमेलिंग और अफवाह फैलाने में हो रहा है। सरकार को कठोरतम साइबर कानून बनाकर दोषियों को लैंडिंग करना चाहिए। जागरूकता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को डीपफेक वहचाने वाले एल्गोरियम विकसित कर एआई का दुरुपयोग रोका जा सकता है।

वर्षा अग्रवाल

भाषण, मध्य प्रदेश

एंटी सॉफ्टवेयर बनाए जाएं

एआई के दुरुपयोग को रोकने वाले ऐंटी सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध होने चाहिए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों के लिए सेंसर बॉर्ड जैसी व्यवस्था की जाए जिससे लोग इतनी स्वतंत्रता से कोई भी सामग्री किसी की प्रतिष्ठा को खारब करने या धन उगाही के लिए न कर सकें।

डॉ आंजनेय गुनता

मौर्जापुर, उत्तर प्रदेश

सख्त साइबर कानून लागू हो

डीपफेक का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार को सख्त साइबर कानून लागू करना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियों को भी एआई आधारित पहचान तंत्र विकसित कर फर्जी सामग्री वाले वीडियो तुरंत हटाने के इतजाम करने चाहिए। जूटी सामग्री को पहचानने के लिए नागरिकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना भी आवश्यक है। कानून नियंत्रण और तकनीक सुरक्षा से दुरुपयोग रोका जा सकता है।

रमेशचंद्र कर्नारवट

उज्जैन, मध्य प्रदेश

निगरानी के लिए एंजेसियां बने

एआई का बढ़ता उपयोग जिंदगी को आसान बनाने के साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी, डीपफेक, डिजिटल असरेट आदि को भी बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण की उपलब्धता ठांगों पर बढ़ाना भी आवश्यक है। कानून नियंत्रण और तकनीक सुरक्षा से दुरुपयोग रोका जा सकता है।

बुजेश माधुर

गांधीजीबाद, उत्तर प्रदेश

नए नए शोध करने होंगे

डीपफेक और एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना, तकनीकी रूप से समाधान करना, नियम और कानून का पालन करना, सोशल मीडिया, व्यक्तिगत सावधानी खराना, शाश्वत और विकास कार्य आदि पर देने जैसे केंद्र तथाने की जरूरत है। इसके अलावा डीपफेक का पालन करने और इसे रोकने के लिए नए-ए-तरीके पर शोध करने की आवश्यक है।

मनमोहन राजावत

शाजापुर, मध्य प्रदेश

कठोर साइबर कानून जरूरी

एआई और डीपफेक के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए समन्वित व बहुस्तरीय कदम जरूरी हैं। सबसे पहले केंद्रों साइबर कानून और काकाम और आसान करती है। इससे बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाना तथा अधिक क्षेत्र में स्पष्ट एआई जनिट केंटेट को ऑडिड ट्रेल रखना चाहिए। मध्यस्थ कंपनियों को नागरिकों, व्यवसायों और सरकार को यह बताना अनिवार्य हो कि किसी केंटेट को डीपफेक क्यों लेवल किया गया?

कॉर्पोरेशन और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा की दरकार है। यह कॉर्पोरेशन और एप्रिल्यूशन के मुद्रे हल करेगा तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी सवालों व सरकारी मामलों में फैली ग्राहियों का खंडन करेगा, जहाँ एआई का दुरुपयोग सबसे हानिकारक है। सरकार को शिक्षा की नीति में यह प्राथमिकता दिना चाहिए कि जेनरेटिव एआई चैटबॉट कैसे नागरिकों की संज्ञानात्मक क्षमताओं और प्रभावी साक्षरता करते हैं ताकि जनरित में जागरूकता बढ़ाइ जा सके। इसका दुरुपयोग करने वालों को सख्त सजा देने की भी आवश्यकता है। बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

अभिवर्धन

अध्यक्ष, ईडियन सोसाइटी ऑफ अर्टिफिशल इंटेलिजेंस एंड लॉ

पुरस्कृत पत्र

असली नकली के पहचान के टूल विकसित करने होंगे

ऋषभ देव पांडेय

जयपुर, राजस्थान

पुरस्कार राशि

500 रुपये

एआई और डीपफेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसे टूल विकसित करने की जरूरत है, जो ये बता सके कि कोई फोटो, विषयवस्तु, वीडियो एडिटेड या असली है और ये दूल आमजन के लिए सहज उपलब्ध हों। डीपफेक व एआई केंटेट की लेबलिंग को अनिवार्य किया जाए। दुरुपयोग करने वालों में भय फैदा करने के लिए उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। एआई व डीपफेक के उपयोग को विनियमित करने के लिए विशेषज्ञ कानून बनाना चाहिए। साइबर सुरक्षा जबवृत्त करने के साथ ही एआई व डीपफेक को शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए।

असली नकली के पहचान के टूल विकसित करने होंगे

कठोर कानूनी नियंत्रण और जन जागरूकता जरूरी

डीपफेक और एआई दुरुपयोग समस्या से निपटने के लिए सरकार को कठोर साइबर कानून बनाकर फेंटेट चैटबॉट कैवर करने या प्रसारित करने वालों को सख्त दंड देना चाहिए। डोटा सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता संबंधी नियमों को मजबूत करने के साथ ही डिजिटल शिक्षा और जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। नागरिकों को डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए एक फोटो में बदलाव पहचान सकें। सोशल मीडिया इन दूल्स को अनिवार्य किया जाए। स्कूलों और कलेजों में एआई नैतिकता के प्रसार की भी जरूरत है। कठोर कानूनी नियंत्रण और जनजागरूकता से ही डीप फेक और एआई के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाइ जा सकती है।

प्रो. आरके जैन

बड़वानी, मध्य प्रदेश

एआई आधारित डिटेक्टर विकसित करने होंगे

डीपफेक और एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाएं। सबसे पहले मजबूत कानून जारी करें जो डीपफेक नियमण और प्रसार को दृढ़ीय बनाएं। जैसे भारत के ऑडिड कानून में संशोधना दूसरा, एआई दूल्स में टॉर्टरमार्किंग और फैटेक्टर विकसित करें। याचारों नामांकन करने के साथ ही डेवलपर जागरूकता बढ़ावा देना चाहिए। स्कूलों और कलेजों में एआई नैतिकता के प्रसार की भी जरूरत है। कठोर कानूनी नियंत्रण और जनजागरूकता से ही एआई आधारित डिटेक्टर विकसित करें।

देवेंद्रगांगा सुधार

जालीर, राजस्थान

अंतरराष्ट्रीय सहयोग से बने वैश्विक मानक

एआई जनित सामग्री पर लेबलिंग और डिजिटल वॉटरमार्किंग अनिवार्य होना चाहिए। इसके साथ एल्टेफोन पर आटोमेटिक डोमेन किए जाने चाहिए। डेवलपर की जागरूकता सुनिश्चित है। व्याकिंग फैटेक्टर चेक नेटवर्क संदिग्ध करने के साथ ही एआई व डीपफेक विकसित करने की जरूरत है। अप्रिया नामांकन करने के साथ ही एआई दूल्स को अनिवार्य किया जाए। स्कूलों और कलेजों में एआई नैतिकता के प्रसार की भी जरूरत है। कठोर कानूनी नियंत्रण और जनजागरूकता से ही एआई-आधारित डिटेक्टर विकसित करें।

...और यह है अगला मुद्दा

आपके विचारों को प्रकाशित करते हैं। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है -

वायु प्रदूषण से कैसे निपटा जाए?

अपनी राय और एटीफेक नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें।

बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग,

नई दिल्ली-110002

फैक्स नंबर- 011-3720201

या फैक्स ई-मेल करें।

goshthi@bsmail.in

विषय: डीपफेक और एआई के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए?

अपने टीफेक और एआई के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए?

बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग,

नई दिल्ली-110002

फैक्स नंबर- 011-3720201

या फैक्स ई-मेल करें।

goshthi@bsmail.in

विषय: डीपफेक और एआई के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए?

अपने टीफेक और एआई के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए?

बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग,

नई दिल्ली-110002

फैक्स नंबर- 011-3720201

या फैक्स ई-मेल करें।

goshthi@bsmail.in

विषय: डीपफेक और एआई के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए?

अपने टीफेक और एआई के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए?

ब